

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा 05 वारण्टी गिरफ्तार

थाना को0 खलीलाबा पुलिस द्वारा दविश के दौरान 02 वारण्टी नाम पता 1 – सुनील यादव पुत्र हरिनाथ यादव निवासी मोहम्मदपुर कठार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 2 – रामबुझारत पुत्र रामनवल निवासी सरैया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा दविश के दौरान 02 वारण्टी नाम पता 1 – अमरनाथ पुत्र स्व0 मुरारी लाल निवासी कस्बा बखिरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 2 – राधे पुत्र रामहरख केवट निवासी परतिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को प्रभारी चौकी बखिरा उ0नि0 श्री रणविजय सिंह द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा दविश के दौरान 01 वारण्टी नाम पता मोहम्मद रईस पुत्र सोहर निवासी मेहदूपार थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3304 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 3304 को थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत चुरेब से इवेन्ट संख्या 05090 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में 03 व्यक्तियों के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 05 मिनट में पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस वाहन से इलाज हेतु जिला अस्पताल पहुँचाया गया तथा दुर्घटना के संबन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को सूचित किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – आरक्षी विश्वजीत यादव, हो0चा0 शिवानन्द चौधरी ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 46 वाहनो से 41500 रू0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 08.02.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 46 वाहनो से 41500 रू0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।